न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या– 32 / 2024

जी.सी.एम.एस– 2024 / 48

अपीलार्थीगणः–

1. लुम्बाराम पुत्र अलीदास
2. लालाराम पुत्र अलीदास जातियान जाट निवासीगण– रामनगर , उटाम्बर, तहसील बालेसर।

प्रत्यर्थीगणः–

1. केनाराम पुत्र काछबाराम
2. रामूराम पुत्र भेराराम
3. गवरीदेवी पत्नि भेराराम
4. गोरखाराम पुत्र काछबाराम
5. चैनाराम पुत्र भेराराम
6. जुगताराम पुत्र काछबाराम
7. भाखरराम पुत्र भेराराम
8. भोमाराम पुत्र काछबाराम
9. मालाराम पुत्र काछबाराम
10. सोनाराम पुत्र भेराराम
    सभी जातियान जाट निवासीगण– तहसील बालेसर जिला जोधपुर।
11. ग्राम पंचायत उटाम्बर, तहसील बालेसर जिला जोधपुर।
12. श्रीमान् तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 11.06.1990 जो कमांक– राजस्व / 89 / 523 में नायब तहसीलदार बालेसर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री रोशनलाल (अपीलार्थी पक्ष की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी (प्रत्यर्थी संख्या 1,4,6,8,9 की ओर से)
3. शेष रेस्पोडेन्ट नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:34 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांक 29.11.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम [illegible] ारा 75 के तहत न्यायालय नायब तहसीलदार बालेसर द्वारा [illegible] गांवों के संग राजस्व अभियान दिनांक 26.12.1988 के [illegible] ली के निर्णय अनुसार [illegible]

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

रेकर्ड दुरस्ती के आदेश कमांक/राजस्व/89/523 दिनांक 11.06.1990 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 14.03.2023 को प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व अभियान उटाम्बर तहसील शेरगढ़ वर्तमान तहसील बालेसर में रेकर्ड दुरस्ती हेतु दिनांक 26.12.1988 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें ग्राम उटाम्बर वर्तमान ग्राम रामनगर व भैरूनगर के मूल खसरा नं 566, 879 व 565 कुल रकबा 81 बीघा 4 बिस्वा के संबंध में खातेदार अलीदास, काछबाराम पुत्रगण जयराम के नाम थी लेकिन वक्त सेटलमेन्ट सिर्फ अलीदास पुत्र जयराम का नाम दर्ज हुआ। जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा रेकर्ड व रिपोर्ट के अनुसार रेकर्ड में काछबाराम का नाम दर्ज किये जाने की टिप्पणी की। दिनांक 15.08.89 को पटवारी उटाम्बर द्वारा एक मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें खसरान का हवाला दिया गया लेकिन मौके पर कब्जा काश्त व जमाबंदी का अंकन नहीं बताया गया। दिनांक 11.06.1990 को कार्यालय नायब तहसीलदार बालेसर द्वारा पटवारी उटाम्बर के प्रार्थना पत्र पर खाता संख्या 226 में अपीलार्थीगण के नाम के साथ काछबाराम का नाम अंकित करने का आदेश पारित किया से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में पेश हुई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थीगण से नोटिस विधिवत तामिल होकर प्राप्त हुए। अधीनस्थ न्यायालय मूल रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस दिनांक 6.11.2024 को सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29.11.2024 को रखी गई।

अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.1990 को पारित करने का नायब तहसीलदार बालेसर को कोई क्षेत्राधिकार नहीं था तथा आदेश अवैध व बिना क्षेत्राधिकारिता के होने से अपास्त योग्य है तथा उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने आदेश दिनांक 18.10. 2021 अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट से प्रत्यर्थीगण के नाम हटाने के आदेश जारी किए है जिसकी अपील संख्या 51/2023 न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर में लम्बित है, अपीलाधीन आदेश की जानकारी उक्त अपील के नोटिस के संलग्न अपील मीमो में अंकित आदेश दिनांक 11.06.1990 के अध्ययन से दिनांक 13.03.2023 को हुई तथा यह अपील दिनांक 14.03.2023 को पेश की गई है। अतः अपीलाधीन आदेश जानकारी की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश हुई है जिसे स्वीकार कर आदेश दिनांक 11.06.90 को अपास्त किया जावे।

उक्त तर्क के खण्डन में प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रस्तुत अपील म्याद बाहर है, धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित कथन सही नहीं है। अपीलांट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर व उपखण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:34 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अधिकारी, बालेसर में प्रकरण संख्या /2021 पेश कर ग्राम रामनगर के खसरा नं 566, 565 तथा भैरू नगर के खसरा नं 879 में प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि में बिना किसी आदेश के, बिना कोई सहमति के, बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि में गलत नामों को हटाने हेतु एक प्रार्थना पत्र बमुकाम उटाबर शिविर में पेश किया था। जिसमें अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर प्रत्यर्थीगण के पिता/पति काछबाराम का नाम दर्ज करने का आदेश होने पर नामान्तकरण संख्या 358 से काछबाराम का नाम जोड़ने का स्वीकृत हुआ। काछबाराम के फौत होने पर उसके वारिस प्रत्यर्थीगणों के नाम वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2071–74 में दर्ज है। उक्त प्रार्थना पत्र पर शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा दिनांक 18.10.2021 को आदेश पारित कर काछबाराम का नाम हटाने का आदेश दिया है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.1990, जो नायब तहसीलदार बालेसर द्वारा कमांक–राजस्व/523 से जारी हुआ है, का भी उक्त आदेश दिनांक 18.10.2021 में जिक है। इस प्रकार अपीलार्थीगण का यह कथन कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.1990 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.03.2023 को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर से अपील संख्या 51/2023 के नोटिस संलग्न प्राप्त अपील मीमो के अध्ययन से सर्वप्रथम हुई, सरासर झूठा व तथ्यों के विपरित है। अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी निश्चित रूप से 18.10.2021 को थी, यह अभिलेख से प्रमाणित है। अतः अपील म्याद बाहर होने से अपील खारिज की जावे।

उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के कारण इस न्यायालय का म्याद अधिनियम, 1963 की धारा 3 के प्रावधानुसार यह विधिक दायित्व है कि अपील की गुवावगुण पर सुनवाई से पूर्व अपील संलग्न पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सर्वप्रथम निर्णय करे।

हमनें पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा अपील को पेश करने में देरी हुई देरी को कन्डोन करने हेतु धारा 5 के अन्तर्गत पेश प्रार्थना पत्र बाबत् प्रस्तुत तर्कों व कथनों का मनन/अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रत्यर्थी की ओर से उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर एक्ट वास्ते रिकार्ड दुरस्ती में दिनांक 18.10.2021 को पारित आदेश का अवलोकन किया। इस आदेश में अपीलाधीन दिनांक 11.06.1990 (उप तहसीलदार बालेसर का पत्रांक–राजस्व/523) का इन्द्राज किया गया है जिसकी पालना में नामान्तकरण संख्या 358 ग्राम उटाम्बर स्वीकृत कर रिकार्ड दुरस्ती कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:34 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

काछबाराम का नाम खसरा नं 565, 566, 879 में जोड़ा गया है। उपखण्ड अधिकारी ने आदेश दिनांक 18.10.2021 से उक्त इन्द्राज दुरस्ती को गलत मानकर खसरा नं 565, 566 व 879 से काछबाराम के वारिसो के नाम हटाने का आदेश दिया है तथा अपीलांट के नाम उक्त आराजी दर्ज करने का भी आदेश दिया है जिससे व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर में अपील संख्या 51/2023 पेश की है। अतः अपीलार्थीगण का यह कथन है कि नायब तहसीलदार, बालेसर के आदेश कमांक–राजस्व/523 दिनांक 11.06.90 की जानकारी दिनांक 13.03.23 को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर से अपील संख्या 51/2023 में जारी नोटिस के संलग्न प्राप्त अपील मीमो से हुई है, कतई मानने योग्य नहीं है तथा धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित कथन व उसके समर्थन में दिये गये शपथ पत्र में अंकित कथन व उसके समर्थन में दिये गये शपथ पत्र में अंकित कथन उक्तानुसार असत्य होने से मानने योग्य नहीं है तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को में बल है तथा अपीलांट द्वारा इस अपील से संलग्न प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम बलहीन होने अस्वीकार करने योग्य होने से अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। फलस्वरूप प्रस्तुत हस्तगत अपील विधि द्वारा अपील पेश करने हेतु निर्धारित समयावधि एक माह के बाद पेश होने के कारण ग्रहण योग्य नहीं होने से व सुनने लायक नहीं होने से यह अपील अस्वीकार की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त अपीलांटस स्वंय ने दिनांक 26.12.1988 को जो राजस्व अभियान कैम्प उटाम्बर में शिविर प्रभारी को प्रार्थना पत्र पेश कर अपने काका काछबाराम का नाम जोड़ने की सहमति दी है तथा मौके पर काछबाराम का खसरा नं 566, 879, 565 पर कब्जा काश्त होना स्वीकर कर कथन किया है कि प्रथम सर्वे में काछबाराम के सगे भाई अलीदास अकेले का नाम ही दर्ज किया गया है जबकि काछबाराम का नाम उक्त आराजी में दर्ज होना चाहिए था। उक्त प्रार्थना पत्र पर 26.12.85 को पटवारी व भू.अ. निरीक्षक ने रिपोर्ट अंकित कर काछबाराम के भौतिक कब्जे की पुष्टि की है। जिस पर नायब तहसीलदार ने टिप्पणी अंकित कर रिकार्ड दुरस्ती की अनुशंषा की है जिस पर प्रभारी अधिकारी ने दिनांक 26.12.85 को 'स्वीकृत' लिखा है परन्तु आदेश जारी नहीं होने से ऐसा प्रतीत होता है कि भू–अभिलेख निरीक्षक ने दिनांक 05.09.89 को पुनः जॉच रिपोर्ट पेश कर काछबा का कब्जा काश्त बताया है तथा नाम दर्ज की की सिफारिश की है। नायब तहसीलदार बालेसर द्वारा जारी अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.90 के अवलोकन से प्रकट है कि आदेश दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:34 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

26.12.88 को शिविर में पेश पत्रावली के निर्णय अनुसार सहमति से काछबाराम का नाम जोड़ने बाबत् पालना बाबत् जारी हुआ है। वस्तुतः काछबाराम का नाम जोड़ने का निर्णय नायब तहसीलदार बालेसर ने नहीं लिया है। यह निर्णय 'स्वीकृत' शब्द अनुसार प्रभारी अधिकारी का प्रतीत होता है जिन्हें अभियान के दौरान सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई थी। इस प्रकार 11.06.90 के आदेश से रिकार्ड में किए गए इन्द्राजों को उपखण्ड अधिकारी बालेसर के आदेश दिनांक 18.10.2021 से निरस्त करना बिना क्षेत्राधिकार के प्रतीत होता है जिसका न्याय निर्णयन सक्षम न्यायालय मे अपील से ही संभव है। अतः अपील अस्वीकार की जाकर आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 17:55:34 IST
Reason: SelfAttested